

## फार्म - तीन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-14 देखें]  
**कर आदि के जमा का सत्यापन**

सेवा में,

कोषाधिकारी,  
-----

केन्द्रीय बिक्री कर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर एवं उत्तर प्रदेश प्रवेश कर के लेखा शीर्षकों के अंतर्गत कर एवं अन्य प्राप्तियां जो माह -----20----- में इस जिले के कोषागार / उप कोषागार एवं बैंकों में जमा हुई ।

### प्राप्तियां

लेखा शीर्षक	विवरण	राशि जो असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर के अभिलेखों में जमा दर्शायी गयी	राशि जो कोषागार अधिकारी के अभिलेखों में जमा दर्शायी गयी	यदि कोई अन्तर हो तो अन्तर की राशि
0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1	केन्द्रीय बिक्री कर			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर / व्यापार कर			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 3	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर / पंजीयन शुल्क			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 4	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर/ब्याज व अर्थदण्ड			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 5	उ0प्र0 प्रवेश कर			
0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1	अन्य प्राप्तियां			
	<b>कुल योग</b>			

### वापसी एवं शुद्ध संग्रह

लेखा शीर्षक	विवरण	कुल जमा	वापसी / ब्याज की राशि	शुद्ध प्राप्तियां
0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1	केन्द्रीय बिक्री कर			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर / व्यापार कर			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 3	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर / पंजीयन शुल्क			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 4	उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर/ब्याज व अर्थदण्ड			
0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 5	उ0प्र0 प्रवेश कर			
0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1	अन्य प्राप्तियां			
	<b>कुल योग</b>			

हस्ताक्षर  
कोषाधिकारी  
मुहर

हस्ताक्षर  
असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर  
मुहर